राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2677/2024

पवन कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी मु. माध्यमिक, भरतपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.08.2024

आदेश की दिनांक : 29.08.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री धीरज गुप्ता, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरसी नगर, भरतपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि जुलाई, 2016 में अपीलार्थी का स्थानान्तरण ब्लॉक नगर, जिला भरतपुर में अध्यापक लेवल प्रथम के पद पर किया गया और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आरसी नगर डींग राजकीय उच्च

माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत हो गया, जहां अपीलार्थी कार्य कर रहा है। अपीलार्थी के पिता श्री चंदराम जो 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं। अपीलार्थी का पुत्र जिसकी उम्र 10 वर्ष है, जो 90 प्रतिशत विकलांग की श्रेणी में आता है, जिसे Duchenne muscular dystrophy जैसी गंभीर बीमारी से पीडित है। ऐसे मरीज का जीवनकाल भी 15 वर्ष से अधिक नहीं होता है। अपीलार्थी के पिता व पुत्र दोनो विकलांग हैं, जो अनुलग्नक–7 से प्रकट होता है, जिनकी देखभाल अपीलार्थी द्वारा की जाती है। परिवार में उनकी देखभाल हेतु अन्य कोई सदस्य नहीं है। अपीलार्थी अपने निवास स्थान से 50 कि.मी. दूर कार्यरत है, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने नजदीकी स्थान पर पदस्थापन हेतु प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 05.08.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और व्यक्तिगत रूप से भी सक्षम अधिकारी को अपनी वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में अवगत कराया परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। उनका कथन है कि नजदीकी विद्यालयों में उक्त पद रिक्त हैं। प्रत्यर्थी विभाग चाहे तो नजदीकी विद्यालयों में रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापन कर सकता है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया। अपीलार्थी मानसिक रूप से पीडित है और विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18651/2019 सुभाष चंद अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.01.2020 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार करते हुये ऐसे कार्मिक जिनके माता–पिता या पुत्र 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं, उन्हें Right of Persons with Disabilities Act, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत कार्मिक को उनके साथ रहने को सही माना है और नजदीकी विद्यालय में पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी किया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग भी अपीलार्थी को उक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर नजदीकी विद्यालय में पदस्थापित करना चाहिये, जो नहीं किया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और अपीलार्थी के पिता–पुत्र की विकलांगता एवं विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी को नजदीकी विद्यालय में पदस्थापन किये जाने के आदेश फरमाये जावे, जिससे अपीलार्थी अपने पिता–पुत्र की नियमित आवश्यकतानुसार देखरेख कर सके।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरसी नगर, भरतपुर में कार्यरत है, जो अपीलार्थी के निज निवास से 50 कि.मी. दूर है। जहां तक अपीलार्थी को नजदीकी स्थान पर पदस्थापन करने के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई निराकरण नहीं किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता जो 40 प्रतिशत से अधिक और अपीलार्थी का पुत्र जो 90 प्रतिशत विकलांग है, जो Duchenne muscular dystrophy जैसी गंभीर बीमारी है। अपीलार्थी के पिता व पुत्र दोनो विकलांग हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 18651/2019 सुभाष चंद अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.01.2020 जिसमें ऐसे कार्मिक जिनके माता–पिता या पुत्र 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हैं, उन्हें Right of Persons with Disabilities Act, 2016 की धारा 9 के अंतर्गत कार्मिक को उनके साथ रहने को सही माना है।

इस प्रकार अपीलार्थी के वर्तमान विषम परिस्थितियों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चिय को दृष्टिगत तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुये हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों उक्त न्यायिक विनिश्चय को ध्यान में रखते हुये आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking

Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य